165

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1842—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—05—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार सेवढ़ा, जिला—दतिया के प्रकरण क्रमांक 83/अ—6/2013—14

.....

लखपत सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह ठाकुर,
निवासी— ग्राम आलमपुर, तहसील— लहार
जिला—भिण्ड, कृषक मौजा करीला तहसील—सेवढ़ा
जिला—दतिया (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— श्रीमती गुड्डी पत्नी नारायण सिंह,
2— श्रीमती चद्रां पाल पत्नी जसवंत सिंह,
3— श्रीमती रानी देवी पत्नी सन्तराम बघेल,
निवासीगण— ग्राम मोहनपुरा तहसील—सेवढ़ा
जिला—दतिया (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 17—11—2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार सेवढ़ा, जिला—दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—05—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता हा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिकागण द्वारा विवादित सर्वे क्रमांक 288 रकबा 0.59, 288/219 रकबा 0.30, सर्वे 288/319 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 1.00 है0 पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन—पत्र न्यायालय तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से पंजी क्रमांक 12 पर अनावेदिकागण का नामांतरण स्वीकार

किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 44/2010–11/अपील माल पर दर्ज होकर दिनांक 08.01.2013 द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 12 पर हुये नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध अनावेदिकागण द्वारा पुनः आवेदन–पत्र तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलन शीलता पर आपत्ति की गई। आवेदक की आपत्ति को निरस्त करते हुये तहसीलदार सेवढ़ा ने अपने प्रकरण क्रमांक 83/अ–6/2013–14 में दिनांक 20.05.2015 द्वारा अनावेदिकागण के हित में आदेश पारित किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदिकागण का आवेदन पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण में उन्हीं पक्षकारों के मध्य एवं उसी विवादित भूमि के सम्बंध में है अर्थात पूर्व प्रकरण एवं इस प्रकरण के पक्षकार व विवादित भूमि एक समान है, इसलिय प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा का प्रभाव था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा द्वारा 44/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.01.2013 के बावत निष्कर्ष निकालने में कानूनी भूल की है। जब एक बार वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अनावेदिकागण के हित में नामांतरण पंजी क्रमांक 12 पर हुआ नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया तो अनावेदिकागण को सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी करना चाहिये थी या फिर सिविल न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की घोषणा कराना चाहिये थी। इस सत्य पर विचार ना कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिकागण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक एवं अनावेदिकागण के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नामांतरण पंजी क्रमांक 12 दिनांक 09.09.2009 से लखपत सिंह के स्थान पर गुड्डी आदि के नाम नामांरतण न किया जाकर सचिव ग्राम पंचायत परसौदाषामन द्वारा नामांरतण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई। इसी आधार पर उक्त पंजी के द्वारा नामांतरण का इन्द्राज अभिलेख में पटवारी द्वारा किया गया है जो अवैधानिक था, इसलिये अनुविभागीय

अधिकारी सेवढ़ द्वारा निरस्त किया है। नामांतरण आदेश पारित नहीं था, उसके बिना पटवारी द्वारा अभिलेखों में हस्ताक्षर किये है । इसी को अपील में निरस्त कर पटवारी व सचित के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अपील आदेश दिनांक 08.01.12 में आदेश भी दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2012 के विरूद्ध अनावेदिकागण द्वारा पुनः तहसील न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें तहसीलदार सेवढ़ा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पंजी 12 आदेश पारित न मानते हुये, नामांतरण की कार्यवाही प्रचलन कर, अनावेदिकागण के हित में दिनांक 20.05.2014 को नामांतरण का आदेश पारित किया । चूँकि आवेदक ने एक भी ऐसा प्रमाण इस न्यायालय में पेश नहीं किया, जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का अधिकार है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सेवढ़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.14 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर